>

Title: Regarding issues arising out of Judgement of Supreme Court in the case of reservation for higher technical posts..

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, मैं और सारे सदन के लोग इस बारे में बेचैन हैं। इन लोगों ने जो फैसला लिया है कि सुपरस्पैशियलिटी और स्पैशियलिटी में कौन-सी पोस्ट होगी और कौन-सी नहीं होगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

श्री शरद यादव : ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अलतमस कबीर ने जाते समय, एक दिन पहले, इस तरह का फैसला किया, जिसमें आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को पूरी तरह से समाप्त करके सिर्फ सी-ग्रेड और डी-ग्रेड में रहने दिया। सरकार को, मंत्री श्री कपिल सिब्बल को इस बारे में जवाब देना चाहिए कि इस बारे में क्या रास्ता निकाला जाएगा? कौन रास्ते से इसे खत्म किया जाएगा? यह इतना बड़ा मामला है कि जो 85 फीसदी लोग हैं, इनका हक है, सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं बल्कि पांच-छह बार इसमें दखल देने का काम करती है।...(व्यवधान) उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। इसके बाद भारतीय समाज में झुनझुना पकड़ाया गया है। आज ये लोग आरक्षण के इस झुनझुने को चुरा रहे हैं।...(व्यवधान) हम आरक्षण वाले नहीं हैं। मैं तो चाहता था कि इस मामले को सुषमा जी उठाएं। पहले इसे लोहिया जी उठाते थे, जयप्रकाश जी उठाते थे, मधुलिमये जी उठाते थे, राजनारायण उठाते थे, मुझे अफसोस है कि आज मैं इस मामले को सदन में उठा रहा हूं। मैं तो देश भर के लोगों का मामला सदन में उठाता हूं। लेकिन यह जो फैसला है आप किस रास्ते से इसे निरस्त कराएंगे? किस रास्ते से इसका हल निकलेगा?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का काम ठीक नहीं चल रहा है लेकिन यह दस मिनट का मामला था। आप जानती हैं, आपसे सभी लोग मिले हैं। ...(व्यवधान) आज यह मामला पूरे देशभर में गर्म हो रहा है। बेकार की बात पर, कोई मुद्दा नहीं है।...(व्यवधान) आज देश की आर्थिक स्थिति खराब है, महंगाई बढ़ रही है। प्याज के दाम आज कहां पहुंच गए हैं, लेकिन हम यह मामला नहीं उठाना चाहते हैं।...(व्यवधान) मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि उसे तत्काल इस बारे में जवाब देना चाहिए कि इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है और जो हक मारा गया है, उसे कैसे वापिस किया जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :

श्री पी.एल. पुनिया,

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर और

श्री कमल किशोर कमांडो अपने आपको श्री शरद यादव द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला किया है, वह पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि सदन सर्वोच्च है और इस सदन में सर्वसम्मति से ही आरक्षण लागू हुआ है। यह किसी एक दल का फैसला नहीं है, पूरे हाउस ने मिलकर आरक्षण स्वीकार किया है।...(व्यवधान) लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर आरक्षण को खत्म कर सकता है और क्यों कर सकता है?...(व्यवधान) सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि यह मामला केवल एम्स से संबंधित था।...(व्यवधान)यह मामला एम्स से संबंधित था और वहां के दो डॉक्टरों का था।...(व्यवधान) यह पूरा का पूरा खत्म कर दिया। मामला एम्स का था।...(व्यवधान) ऐसा कर दिया कि जहां कोई मुद्दा नहीं था। इससे ज्यादा और संविधान का पक्षपातपूर्ण कोई निर्णय नहीं हो सकता और इस पर हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते।...(व्यवधान) हमारे कपिल सिब्बल साहब और संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, इसको तत्काल रिव्यू नहीं, निरस्त करिए। हाउस के अंदर अभी पेश करिए और इसको तत्काल निरस्त कर दीजिए।...(व्यवधान) ...* अब क्या कोई चुप रहेगा? ...(व्यवधान) लोग खड़े होंगे। आंदोलन सड़कों पर होगा। हिंसा भी होगी। आगजनी तक होगी। यह मामूली बात नहीं है।...(व्यवधान) हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, अब कृपया करके अपनी बात समाप्त करिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सैनानी थे। ...(व्यवधान) इन सारे लोगों ने मिलकर आरक्षण को स्वीकार किया है।...(व्यवधान) इसलिए हमारी सरकार से अपील है कि तत्काल इसको निरस्त कीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री मुलायम सिंह जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री कमल किशोर 'कमांडो' को भी एसोशिएट किया जाए।

â€¦(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। आज जिस सवाल को लेकर चर्चा हो रही है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। ...(व्यवधान) हम पार्लियामेंट के अंदर तो संविधान की शपथ लेकर यहां आते हैं।...(व्यवधान) संविधान में हमें हक है कि इस देश में जो भी आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ...(व्यवधान) एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वहां प्रोफेसर के सवाल को लेकर जब आरक्षण नहीं था, तब आरक्षण को लेकर ...(व्यवधान) एम्स के बहाने पूरे हिन्दुस्तान में जिस तरीके से एस.सी.एस.टी. ओबीसी के लोगों को ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बस, अब आपकी बात हो गयी। अब अपने आप को इससे सम्बद्ध करिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया, यह साजिश हो रही है, मैं यह कहना चाहता हूं। कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमारी पार्टी ने कहा था कि जब राज्य सभा में एस.सी.एस.टी. ...(व्यवधान) पास हुआ और अगर लोक सभा में पारित हो गया होता तो शायद यह आदेश इस तरीके से जारी नहीं किया जाता।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय कानून मंत्री जी से जानना चाहता हूं,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बस अब अपनी बात समाप्त करिए। Please do not make it long.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सांसद श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, श्री कमल किशोर 'कमांडो' और

श्री वीरेन्द्र कुमार को भी श्री दारा सिंह चौहान द्वारा उठाये गये विषय के साथ एसोशिएट किया जाए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, the issue of reservation was well-settled by the hon. Supreme Court of India that consisted of 12-Member Judges, but these Judges did not distinguish in posts. ...(*Interruptions*) They did not say that this reservation is only for lower level posts and not for higher level or highly technically qualified posts. ...(*Interruptions*) Now the Supreme Court is deviating or violating the earlier judgement. ...(*Interruptions*) So, the Government should immediately intervene and see that it is rectified. ...(*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I support the contention of Shri Sharad Yadav and Shri Mulayam Singh on the issue of reservation for higher technical posts. ...(*Interruptions*) The judgement given by Supreme Court on the question of appointment of a Professor in AIIMS is not in consonance with the Constitution nor with the dreams of the founding fathers of the Constitution. ...(*Interruptions*) We demand that suitable legal measures to be taken by the Government, so that people of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes get their reservation in higher technical posts. ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Dr. Thambidurai. Please be very brief.

...(*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I am supporting the sentiments of the Members who raised this issue regarding reservation. ...(*Interruptions*) Reservation is a very essential thing. ...(*Interruptions*) It is given in the Constitution for the upliftment of the affected people. ...(*Interruptions*) In this circumstance, how has the Supreme Court given a judgement against the spirit of the Constitution? ...(*Interruptions*) Therefore, it is not acceptable...(*Interruptions*) The Government has to come forward to rectify this thing, and restore the supremacy of Parliament and also give reservation to the affected people. ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri P. L. Punia. Please be very brief.

...(*Interruptions*)

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय अध्यक्ष महोदया, दारा सिंह चौहान जी और अन्य सम्मानित सदस्यों ने जो मामला उठाया हैं, मैं इससे अपने आपको पूरी तरह सम्बद्ध करता हूं। यह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से संबंधित मामला है। वर्ष 2002 से यह मामला पेंडिंग था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लग रहा था तब मैं माननीय कानून मंत्री जी से मिला था और मैंने अनुरोध किया था कि दुर्भावना से इसकी सुनवाई शुरु हो रही है। मैं दुर्भावना शब्द का विशेष उल्लेख इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अनेक जजमेंट का हवाला दिया गया है। आर्टिकल 335 का भी हवाला दिया गया है जिसके आधार पर यह पूरा फैसला है। लेकिन इसमें उन्होंने यह नहीं लिखा कि आर्टिकल 332, 335 में भी इसी संसद ने संशोधन किया है और करने के बाद विशेष उल्लेख किया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए फिक्स स्टैंडर्ड में रिलेक्सेशन करने की पावर भी है। वे चाहते थे और उन्होंने तय किया हुआ था कि क्या फैसला करना है। हमारे पक्ष में जितने बिंदु थे, रिजर्वेशन देने के पक्ष में जितने बिंदु थे, उसकी उन्होंने घोर उपेक्षा की है। इससे साबित होता है और आज यह हाइलाइट करता है कि ज्यूडिशियरी में रिजर्वेशन की आवश्कता बहुत दिनों से है। आर्टिकल 312 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस का गठन होना चाहिए लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है और दलितों और गरीबों की जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है। इस जजमेंट से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पक्ष के जितने भी बिंदु थे, उनकी उपेक्षा करके एक तरफा फैसला यानी जो पहले से तय कर रखा था, प्रिजुडिस की भावना से तय कर रखा था, वही तथ्य देकर, वही आर्ग्युमेंट देकर गलत फैसला किया है।

मैं समझता हूं कि पूरे सदन की यह भावना है कि इसका उपाय किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि इस जजमेंट को रिवर्स करने की तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया जी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, श्री कमल किशोर 'कामांडो' को संबद्ध किया जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह विषय भाई शरद यादव जी ने उठाया है। आपको याद होगा कि एक दिन पहले आपके कक्ष में सभी नेता बैठे थे तब यह विषय उन्होंने उठाया था। यह विषय गंभीर इसलिए हो जाता है कि एम्स फेकल्टी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उसका विषय बहुत सीमित था कि सुपर स्पेशिएलिटी में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं। लेकिन जजेज़ ने उसके स्कोप से आगे जाकर निर्णय दे दिया कि इंदिरा साहनी केस के मामले में हम केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को कहते हैं कि वे उसका पालन करें। जो विषय जजेज़ के सामने नहीं था, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी और इसी से यह एजिटेशन आया। इस पर मैंने वहां सुझाव दिया था कि सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि वह इस पर क्या करना चाहती है। कल उसी समझ के अनुसार बैठक हुई। उस बैठक में जो मुद्दे सरकार ने रखे, उसमें पहला मुद्दा यही था। वहां कानून मंत्री ने सरकार की स्थिति बताते हुए कहा था कि वे एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं और सोमवार को रिव्यु पैंटिशन दायर हो जाएगी। इस पर उन्होंने यह भी कहा था कि जो टिप्पणी की गई है यह 'beyond the scope of the subject' थी, इसे निकालने की दरख्वास्त दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वहां से राहत मिल गई तो ठीक है, और अगर राहत नहीं मिली तो संवैधानिक तरीका अपनाना होगा। आज सारे सदस्य एजिटेटिड हैं इसलिए मैं चाहूंगी कि जो बात कल सर्वदलीय बैठक में कही गई थी वही बात कानून मंत्री आज सदन में खड़े होकर कह दें ताकि सारे सदन की आश्वस्ती हो जाए। अगर कानून मंत्री यह कह देंगे कि हम यह करने जा रहे हैं तो लोग आश्वस्त हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ

श्री अर्जुन मेघवाल,

श्री वीरेन्द्र कश्यप,

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल,

श्री वीरेन्द्र कुमार,

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी,

श्री सोहन पोटाई,

श्री रामसिंह राठवा,

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल को संबद्ध किया जाए।

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, may I intervene?

MADAM SPEAKER: There are still other Members who want to speak. Dr. Sanjeev Ganesh Naik.

...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, you have not allowed me to speak.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Hon. Member, please be very brief.

...(*Interruptions*)

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि कानून मंत्री इस बारे में सदन में बात करें और सदन को आश्वस्त करें कि इस पर सरकार सही कदम उठाएगी।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, please be brief.

...(*Interruptions*)

श्री बसुदेव आचार्य : मैडम, 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, श्री अल्तमश कबीर ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जो राय दी है, उसका दुष्प्रभाव हमारे देश भर पर पड़ेगा। हमारे देश में जो आरक्षण की नीति है, आरक्षण का अधिकार है, इस अधिकार को छीनने के लिए इस तरह की राय दी गई है। परंतु ताज्जुब की बात यह है कि करीब एक महीना गुजर गया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जब एक जुलाई को तमाम नेताओं ने ऑल पार्टी मीटिंग में मांग की थी कि इस स्टेज पर सरकार विचार करे और इस राय को रिवर्स करने के लिए जो उचित कदम उठाना चाहिए, वह कदम सरकार उठाये। लेकिन आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण आज देश भर में इसका विरोध हो रहा है। यह जो राय है, यह दलित विरोधी राय नहीं, यह राय शेडयूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्स विरोधी नहीं, बल्कि इस राय को हम राष्ट्र विरोधी राय मानते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, प्लीज कनक्लूड।

श्री बसुदेव आचार्य : इसीलिए हम चाहेंगे कि कानून मंत्री ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में बताया था...(व्यवधान) वह सदन को बतायें।

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरुदास दासगुप्ता जी, आप बोलिये।

â€¦(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA(GHATAL) : Madam, the Government must make a declaration that they are ready for amendment of the Constitution in this Session of the Parliament to protect the rights of the underprivileged. Reservation in services is not a luxury; reservation is a right because there are disempowered people in the society and these disempowered people must be protected by the amendment of the Constitution. The Government must declare that they will bring an amendment to the Constitution in this Session. I want this from the Governmentâ€¦ (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Gurudas Dasgupta ji, Thank you so much. Please conclude.

...(*Interruptions*)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों का आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार का हनन किसी भी तरह नहीं होना चाहिए, न ही इसके लिए कोई प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जैसा सुषमा जी ने कहा है और जैसे कल सर्वदलीय नेताओं की बैठक में मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि वह इस संदर्भ में रिव्यू पैटीशन डालने जा रहे हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो वह अमैन्डमैन्ट लाने जा रहे हैं। हमारा कहना है कि आप अमैन्डमैन्ट लाइये, सारा सदन आपका समर्थन करेगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The issue that has been raised since the beginning of the Monsoon Session is related to provide reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs in superspeciality institutions. There is a great demand and there is an urgent need to make the constitutional amendments as quickly as possible. The Court should not transgress its limit. The provision that is provided in the Constitution of India should be respected by all quarters. In that respect, I demand that if a Review Petition is being filed by the Government, I welcome it. At the same time, I would say that it is necessary to bring the constitutional amendment. We would all abide by that decision....(*Interruptions*)

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फ़रीदकोट): मैडम, यह बड़ा संवेदनशील मसला है। मैं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इससे सहमत हूं और जो हमारा दलित भाईचारा है, हर मोड़ पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे सभी मैम्बर्स ने आपसे रिक्वैस्ट की है, मैं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आपसे रिक्वैस्ट करती हूं कि संविधान में जो प्रावधान है, उसमें अमैन्डमैन्ट होना चाहिए, क्योंकि जो दलित लोग हैं, वे उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, जहां वे पहुंचना चाहते हैं। उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वे इलीट क्लास का मुकाबला कर सकें। उनके बच्चे कॉनवेंट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे हायर क्लास में बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिए मैं शिरोमणी अकाली दल की तरफ से इसका विरोध करती हूँ।

SHRI KAPIL SIBAL: Madam Speaker, I want to, first of all, endorse all the observations and sentiments expressed by all the distinguished Members of this House. मैं आज आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि आरक्षण एक संवैधानिक हक है। ...(व्यवधान) इस संवैधानिक हक पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने था, वह सुपर-स्पेशियलिटी और स्पेशियलिटी के संबंध में था। ...(व्यवधान) लेकिन उन्होंने आगे बढ़ कर कुछ ऐसे ऑब्ज़रवेशंस की हैं ...(व्यवधान) जो कि नहीं होने चाहिए थे। ...(व्यवधान) हम समझते हैं कि वे ऑब्ज़रवेशंस आबिटर हैं। ...(व्यवधान) उन ऑब्ज़रवेशंस को रद्द करना चाहिए। ...(व्यवधान) मैं सोमवार को याचिका डाल कर उनसे रिव्यू मांगूंगा। ...(व्यवधान) और रद्द करने की मांग करूंगा। ...(व्यवधान)

11.27 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar, Shri Maheshwar Hazari and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री कपिल सिब्बल: अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं करती है ...(व्यवधान) तो हम संवैधानिक संशोधन लाएंगे। ...(व्यवधान) हम उसको रद्द करवाएंगे। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let him finish.

...(*Interruptions*)

11.27 Â½ hrs.

At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members went back to their seats

SHRI KAPIL SIBAL: I said already अगर हमारी रिव्यू पिटीशन नहीं मानी गई तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाएंगे। ...(व्यवधान) हम यह आश्वासन देना चाहते हैं। ...(व्यवधान) हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसी सेशन में लाएंगे। ...(व्यवधान) मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जहां तक आरक्षण का मामला है

...(व्यवधान) हमारी पार्टी सबसे आगे रही है। ...(व्यवधान) पहल करती है। ...(व्यवधान) जब-जब यह आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है ...(व्यवधान) हमने उसको आगे बढ़ाया है। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है। ...(व्यवधान) संवैधानिक हक कांग्रेस पार्टी ने दिए। ...(व्यवधान) संवैधानिक हक आप लोगों ने नहीं दिए। ...(व्यवधान) संवैधानिक हक कांग्रेस पार्टी ने दिए और सारे सदन ने, सब सहमत कर के दिए। ...(व्यवधान) आज भी हम पहल करेंगे। ...(व्यवधान) और पहल कर चुके हैं।

11.28 hrs

At this stage, Shri Abdul Rahman and some other hon. Members

came and stood on the floor near the Table.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please go back. I am standing. Please go back. बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. I want to say something. Please sit down.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप पहले बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस समय सदन इस विषय को लेकर बहुत उद्वेलित है। पूरे सदन की भावना हमने देख ली है। पूरा सदन एकजुट है। सरकारी पक्ष से मेरा अनुरोध होगा कि वे संशोधन के बारे में सोचें।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैडम, इसमें कोई शक नहीं है कि सदन इस विषय पर एक है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं और अभी लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि वे रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, पर इस सेशन में ...(व्यवधान) मैडम हम इस सेशन में संविधान संशोधन लाएंगे। ...(व्यवधान) मैडम, ये सुनना नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान) मैं कह रहा हूँ कि हम संविधान में संशोधन आवश्यक इस सदन में लाएंगे।

मैं तो कह रहा हूं कि संविधान संशोधन विधेयक लायेंगे।...(व्यवधान)

11.29 hrs.

At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(*Interruptions*)

11.29Â½ hrs

At this stage, Shri A.K.S. Vijayan and some other hon. Members came

and stood on the floor near the Table.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : वे तो कह रहे हैं कि विधेयक लायेंगे। आप बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: He is saying that.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1200 hours.

11.30 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve

of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)